न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 119 / 2021 GCMS No 2021 / 379
दायरा तिथि : 28.10.2021
फैसला तिथि : 14-5-22

प्रार्थीगण::–
कीकाराम, नरसाराम पुत्र मोटाराम जातिगण मेघवाल
निवासीगण बिरोलिया तहसील बाली

बनाम

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
उपस्थितिः–

1. श्री कैलाश पारंगी .... अभिभाषक प्रार्थीगण की ओर से
2. नायब तहसीलदार, बाली .... पैरोकार सरकार की ओर से

–:: आदेश ::– दिनांक 14-5-22

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा ग्राम बिरोलिया तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 27 रकबा 1.3500 हैक्टर में **दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम चुनाराम पुत्र मोटीया व लच्छाराम पुत्र मोटीया** को **दुरस्ती** के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम कीकाराम पुत्र मोटाराम व नरसाराम पुत्र मोटाराम शुद्ध** किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रति पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने जांच कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अनुसार वर्णित भूमि में त्रुटिपुर्ण नाम **चुनाराम पुत्र मोटीया व लच्छाराम पुत्र मोटीया** दर्ज होने तथा प्रार्थीगण द्वारा धारित दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, बैंक पासबुक व नरेगा जॉब कार्ड के अनुसार प्रार्थीगण का सही व वास्तविक नाम **कीकाराम पुत्र मोटाराम व नरसाराम पुत्र मोटाराम** दर्ज होना स्वीकार किया, तथा उक्त त्रुटि नामान्तरकरण दर्ज करते समय होना स्वीकार करते हुये राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थीगण के **त्रुटिपुर्ण नाम चुनाराम पुत्र मोटीया व लच्छाराम पुत्र मोटीया** के स्थान पर **कीकाराम पुत्र मोटाराम व नरसाराम पुत्र मोटाराम** शुद्ध किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री कैलाश पारंगी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थीगण का सही एवं वास्तविक नाम **कीकाराम पुत्र मोटाराम व नरसाराम पुत्र मोटाराम** है, जिसकी पुष्टि में प्रार्थीगण द्वारा धारित आधार कार्ड की प्रति पेश कर दी है। नामान्तरकरण दर्ज करते समय त्रुटिपूर्ण नाम **चुनाराम पुत्र मोटीया व लच्छाराम पुत्र मोटीया** दर्ज है, जिससे राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम को भी दुरस्त किये जाने की मांग की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम बिरोलिया तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 27 रकबा 1.3500 हैक्टर में **दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम चुनाराम पुत्र मोटीया व लच्छाराम पुत्र मोटीया** को **दुरस्ती** के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम कीकाराम पुत्र मोटाराम व नरसाराम पुत्र मोटाराम शुद्ध** किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बेडल को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.). बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 14-5-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.). बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner